मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक क्षेत्र, पो0– हरपुर एलौथ, जिला– समस्तीपुर
AN ISO 22000: 2018 CERTIFIED ORGANISATION

सं0:मदुस:विप0:निविदा: 2151 दिनांक–18/06/2026

(निविदा सूचना सं0– 08/2026)

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर डेयरी से देवघर(झारखण्ड) वितरक के भंडार स्थल तक वजन–3500 किलोग्राम/लीटर से 5000 किलोग्राम/लीटर तथा वितरक के मांग के अनुसार सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ परिवहन करने हेतु अनुभवी एवं कुशल परिवहनकर्त्ता की आवश्यकता है। जिन व्यक्ति/फर्म के पास रेफ्रिजेटेड एवं इंशुलेटेड टाटा 709 या समतुल्य क्षमता की नीजि/लीज गाड़ी, आधार सं0, खाद्य पदार्थ अनुज्ञप्ति, जी0 एस0 टी0 सं0, पैन सं0 एवं अद्यतन आयकर रिर्टन एवं गाड़ी से सम्बन्धित समस्त अद्यतन बैधानिक कागजात उपलब्ध हों उनसे आवेदन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र 500/–(पाँच सौ) रूपये नगद भुगतान पर दिनांक–20/06/2026 से 30/06/2026 तक किसी भी कार्य दिवस को पूर्वा0 10.30 बजे से अप0 3.30 बजे तक समस्तीपुर डेयरी से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र मे निविदा भरने हेतु दिशा–निर्देश एवं आवेदन प्रपत्र उपलब्ध होगा। वेबसाइट www.mduss.com एवं www.sudha.coop पर उपलब्ध निविदा प्रपत्र डाउनलोड के एवज आवेदन प्रपत्र शुल्क के एवज मे 500/–(पाँच सौ)रूपये का बैंक ड्राफ्ट मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0(MITHILA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD) के नाम जो समस्तीपुर मे भुगतेय हो, निविदा प्रपत्र के साथ अलग से संलग्न करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र मे पूर्ण विवरण भरकर दिनांक–06/07/2026 तक विपणन शाखा, मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर डेयरी, औद्योगिक प्रक्षेत्र, पो0–हरपुर एलौथ, जिला–समस्तीपुर, पिन–848103 मे आवेदन भेज सकते हैं।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये पूर्ण या आंशिक आवेदन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

18/6/26

प्रबन्ध निदेशक

प्रति0: सहायक महाप्रबन्धक(विपणन)
कॉम्फेड, पटना

: प्रभारी लेखा
मदुस, समस्तीपुर

: प्रबन्ध निदेशक–प्रकोष्ठ
मदुस, समस्तीपुर

परिशिष्ट–I

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

समस्तीपुर डेयरी, समस्तीपुर

Mithila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd.
SAMASTIPUR DAIRY,
Industrial Area, Po: Harpur Alowth,
Dist. Samastipur-848101 Bihar

निविदा जमा करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश

1. इच्छुक व्यक्ति या फर्म के द्वारा पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र को व्यक्तिगत तौर पर मुहरबंद लिफाफ में मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर डेयरी के विपणन कार्यालय में दिनांक–06/07/2026 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक हीं प्राप्त किया जायेगा। जिस पर स्पष्ट रूप से **मिथिला दुग्घ उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर डेयरी से देवघर(झारखण्ड) तक सुधा दूध एवं दुग्घजन्य पदार्थ परिवहन हेतु आवेदन** अंकित होना चाहिए।

2. अंतिम तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा निविदादाता या निविदादाता के प्राधिकृत प्रतिनीधि के समक्ष संघ के गठित कमिटि के द्वारा दिनांक–08/07/2026 को संघ मुख्यालय, समस्तीपुर मे खोला जायेगा।

3. निविदादाता द्वारा सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ परिवहन के लिए न्यूनतम परिवहन दर प्रति किलोग्राम/लीटर कितना लिया जायेगा, जिसे स्पष्ट रूप से अंकों में एवं शब्दों में विहित प्रपत्र मे अंकित किया जायेगा। आवेदक को न्यूनतम परिवहन दर अंक के साथ शब्दों में लिखना आवश्यक होगा। किसी प्रकार के अस्पष्टता होने पर शब्दों में लिखे गये दर को सही एवं अंतिम मान लिया जायेगा। कटे या संशोधन की मान्यता तभी होगी जब वह प्रतिहस्ताक्षरित पाया जायेगा।

4. सर्शत, तार, फैक्स, ई–मेल द्वारा भेजी गई निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. निविदादाता को मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर डेयरी से देवघर(झारखण्ड) तक दूध एवं दुग्घजन्य पदार्थ परिवहन कराने हेतु अनुभवी एवं एक कुशल चालक तथा दो उपचालक रखना अनिवार्य होगा। वार्तालाप हेतु गाड़ी पर कार्यरत् चालक एवं उपचालक को मोबाइल रखना अनिवार्य होगा।

6. निविदादाता के चालक एवं उपचालक को मांग एवं निर्धारित समय के अनुसार कर बीजक/ गेटपास मे अंकित मात्रा/सं0 के अनुसार मिथिला दुग्घ उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर मे गुणवत्तायुक्त दूध एवं दुग्घजन्य पदार्थ गाड़ी पर लोडिंग करना होगा तथा देवघर वितरक के भंडार स्थल मे अनलोडिंग करना होगा। जिसके लिए अलग से कोई पारिश्रमिक संघ के द्वारा देय नही होगा।

7. निविदादाता के पास टाटा 709 रेफ्रिजेटेड एवं इंशुलेटेड गाड़ी होना अनिवार्य है। माह–मार्च से अक्टुवर तक रेफ्रिजेटेड गाड़ी एवं माह–नवम्बर से फरवरी तक इंशुलेटेड गाड़ी से दूध एवं दुग्घजन्य पदार्थ परिवहन करना होगा। निविदा प्रपत्र मे टाटा 709 रेफ्रिजेटेड गाड़ी एवं इंशुलेटेड गाड़ी के लिए अलग–अलग परिवहन दर अंकित करना अनिवार्य होगा।

8. मिथिला दुग्घ उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर डेयरी से देवघर वितरक के भंडार स्थल तक कोई भी दूध एवं दुग्घजन्य पदार्थ शॉर्टेज/डैमेज होने की स्थिति मे दूध एवं दुग्घजन्य पदार्थ का कीमत अधिकतम खुदरा मूल्य से परिवहन विपत्र से कटौती की जायेगी।

9. देवघर वितरक के मांग के अनुसार पूरी मात्रा/सं0 मे समस्तीपुर डेयरी से दूध एवं दुग्घ जन्यपदार्थ प्राप्त करना होगा। तथा आवश्यकतानुसार परिवहन कर्त्ता के द्वारा अतिरिक्त गाड़ी परिचालन करना होगा।

10. कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त निविदादाता को जमानत राशि–50000/–रूपये एवं 300000/– रूपये का बैंक गारन्टी संघ मे जमा करना होगा। संघ मे जमा जमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ के परिवहनकर्त्ता के रूप मे अनुभव प्राप्त निविदादाता को चयन प्रक्रिया मे प्राथमिकता दी जा सकती है, जिसके लिए वर्तमान मे कार्यरत् होने का संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।

पढ़ा, समझा और स्वीकार किया।

हस्ताक्षर

(ऑफिस मुहर के साथ)

परिशिष्ट–II

NE
Mithila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd.
SAMASTIPUR DAIRY,
Industrial Area, Po: Harpur Alowth,
Dist. Samastipur-848101 Bihar

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर

दूध एवं दुग्घजन्य पदार्थ परिवहन करने हेतु आवेदन प्रपत्र

(कृपया मूल प्रति में ही विवरण भरें एवं जमा करें)

(1) दूध एवं दुग्घजन्य पदार्थ परिवहन स्थल का नाम :–

(2) आवेदक / फर्म का पूरा नाम एवं पता :–

आवेदनकर्ता अपने हाल का फोटो यहाँ चिपकायें।

लिंग :–

जन्म तिथि :–

शैक्षणिक योग्यता :–

(3) (क) आवेदक का स्थायी पता :–

(फोटोयुक्त पहचान पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)

(ख) वर्तमान पता (पत्राचार का पूरा पता) :–

(4) दूरभाष संख्या – निवास स्थान :–

कार्यालय :–

मोबाईल :–

(5) प्रस्तावित व्यवसाय में उपयोग होने वाले वाहन की विवरणी :

क्रमांक	गाड़ी का प्रकार	निबंधन संख्या	गाड़ी निर्माण वर्ष	इंशुलेटेड / रेफ्रिजेटेड (हाँ / नहीं)	अभ्युक्ति
1.					
2.					

क) निविदादाता व्यक्ति या फर्म के स्वामित्व / लीज पर गाड़ी होना चाहिए। (गाड़ी लीज की स्थिति मे गाड़ी मालिक के द्वारा आवेदक के पक्ष मे कम से कम दो वर्षो के लिए एकरारनामा की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)

ख) गाड़ी का ऑनरबुक, निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन बीमा कागजात एवं टैक्स टोकन की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

ग) गाड़ी का फोटोग्राफ देना आवश्यक है जो गाड़ी का निबंधन संख्या को स्पष्ट दर्शाये।

Contt...

Mithila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd.
SAMASTIPUR DAIRY,
Industrial Area, Po: Harpur Alowth,
Dist. Samastipur-848101 Bihar

(6) क) आधार संख्या –
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
ख) जी0 एस0 टी0 निबन्धन सं0–
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
ग) पैन संख्या संख्या –
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
घ) अद्यतन आयकर रिर्टन –
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
ड़) खाद्य पदार्थ अनुज्ञप्ति –
(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

(7) सुधा दूध एवं दुग्घजन्य पदार्थ परिवहन हेतु मेरे द्वारा न्युनतम निम्न राशि प्रति किलोग्राम/लीटर लिया जायेगा। (परिवहन दर अंको एवं शब्दों मे अंकित करना अनिवार्य है)

क्र0	गाड़ी का प्रकार	परिवहन दर(अंको मे)	परिवहन दर(शब्दों मे)
01	रेफ्रिजेटेड टाटा 709		
02	इंशुलेटेड टाटा 709		

उक्त दर में दूध एवं दुग्घजन्य पदार्थ का लोडिंग–अनलोडिंग, परिवहन व्यय, टॉल टैक्स, लीकेज, शॉर्टेज/डैमेज एवं अन्य खर्च शामिल होगा।

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि जो भी सूचना निविदा प्रपत्र में अंकित की गई है वह हमारी जानकारी में सत्य है। अगर कभी भी उपर्युक्त अंकित जानकारी असत्य हो जाती है तो मेरी उम्मीदवारी बिना कारण बताये स्वतः रद्द समझी जायेगी। उपरोक्त सभी सूचनाएँ एवं मूल दस्तावेजों को भी जाँच की जा सकती है जिसके लिए मैं किसी भी समय उपस्थित रहूँगा/रहूँगी। यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे कोई भी रिश्तेदार फेडरेशन/मिल्क यूनियन/फेडरेशन बोर्ड/मिल्क यूनियन बोर्ड मे नही है।

आवेदक का हस्ताक्षर
(ऑफिस मुहर के साथ)

स्थान :–

दिनांक :–

अनुलग्नक(विवरणी) : –
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Mithila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd.
SAMASTIPUR DAIRY,
Industrial Area, Po: Harpur Alowth,
Dist. Samastipur-848101 Bihar

<u>सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ परिवहन हेतु एकरारनामा</u>

एकरारनामा आज दिनांक .... को मिथिला दुग्ध उत्पादक सहाकरी संघ लि0, समस्तीपुर जिसका कार्यालय औद्योगिक प्रक्षेत्र, पत्रालयः हरपुर एलौथ, जिलाः समस्तीपुर में अवस्थित है की तरफ से प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्धक/उप प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक और सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थो के परिवहन करने हेतु परिवहनकर्त्ता के रूप में चयनित श्री ...., पिता–..., ग्राम–...................................पो0–.................................., थाना–.., जिला–..............., पिन–.............. द्वारा सम्पादित किया जाता है।

मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 के प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्धक/उप प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक को प्रथम पक्ष के रूप में जिसे यहाँ के बाद डेयरी एवं सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ परिवहनकर्त्ता श्री ...., जिनका कार्यालय–.. जिला–......................, पिन– .... में अवस्थित है को द्वितीय पक्ष के रूप में जिसे यहॉ के बाद परिवहनकर्त्ता के रूप में सम्बोधित किया जायेगा।

Contt...

Mithila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd.
SAMASTIPUR DAIRY,
Industrial Area, Po: Harpur Alowth,
Dist. Samastipur-848101 Bihar

डेयरी द्वारा सुधा दूध एवं दुग्घजन्य पदार्थ (गुलाबजामुन, रसगुल्ला, प्लेन दही, घी, बटर, लस्सी, बालूशाही, सोनपापड़ी इत्यादि) को समस्तीपुर डेयरी से देवघर वितरक के भंडार स्थल तक परिवहन हेतु कार्यादेश संख्याःमदुसःविप0:.............. दिनांक–.......................... निर्गत किया गया है तथा परिवहन कर्त्ता के द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त कार्यादेश में अंकित कार्य संचालन के प्रावधानों को व्यवसायिक हित में समय–समय पर डेयरी द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जो परिवहन कर्त्ता को मान्य होंगे। कार्यादेश के प्रावधानों को इस एकरारनामा का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा माना जायेगा।

दोनो पक्षो द्वारा उपरोक्त तिथि को नीचे दिये गए साक्षियों की उपस्थिति में अनुबन्ध सम्पादित किया गया । एकरारनामा की शर्त्तें एवं प्रावधान .... पन्नों में संलग्न है।

....	....
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
साक्षी (पूर्ण पता सहित)	साक्षी (पूर्ण पता सहित)
1.......................................	1......................................
2.......................................	2......................................

अनुलग्नक– एकरारनामा .... पन्नों में।

Contt...

डेयरी एवं परिवहन कर्त्ता के बीच निम्न प्रावधानों एवं शर्तो के आधार पर कार्य करने की सहमति प्रदान की गयी –

(01) यह एकरारनामा एक वर्ष के लिए दिनांक–.................... से .... तक के लिए मान्य होगा। एकरारनामा अवधि की समाप्ति पर समय–समय पर आपसी सहमति एवं परिवहन कर्त्ता के कार्य कुशलता के आधार पर डेयरी द्वारा विभिन्न चरणों में कार्य विस्तारित किया जा सकता है। विस्तारित अवधि तक परिवहन कर्त्ता के द्वारा पूर्व में की गई एकरारनामा में उद्धृत नियम व शर्त्तें मान्य होगा।

(02) किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप से 30 दिनों की पूर्व सूचना देकर यह एकरारनामा समाप्त किया जा सकेगा। यह सूचना पंजीकृत पत्र की निर्गत तिथि से प्रेषित एवं प्राप्त माना जायेगा। एकरारनामा में उद्धृत अन्य प्रावधानों के अधीन डेयरी द्वारा किसी भी समय एकरारनामा समाप्त किया जा सकेगा।

(03) डेयरी के द्वारा एगमार्क/पी0एफ0ए0 मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पैकिंग मैटेरियल से पैक किया हुआ सुधा दुग्धजन्य पदार्थ आपूर्ति किया जाएगा।

(04) परिवहन कर्त्ता सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थो के मानकों एवं गुणवत्ता की परख आपूर्ति के समय ही करेगें।

(5) सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ का परिवहन .... किलो ग्राम/लीटर तक के लिए रेफ्रिजेटेड टाटा 709 या समतुल्य (गाड़ी का इन्शुलेशन 3" मोटा थर्मोकॉल अथवा 3/4" मोटा पफ मेटेरियल जो गाड़ी के छः साइड मे होगा) गाड़ी से किया जायेगा। सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ का परिवहन हेतु परिवहन दर जो कार्यादेश मे अंकित है तथा जी0 एस0 टी0 जो लागू होगा भुगतान किया जायेगा। कार्य आरम्भ करने की तिथि से अगले एक वर्ष के अनुबन्धित अवधि मे दर मे किसी प्रकार परिवर्तन नही होगा, और न ही दर से सम्बन्धित कोई वार्ता की जायेगी।

(6) सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ परिवहन के मद् मे भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह मे परिवहन कर्त्ता पिछले माह का परिवहन विपत्र की तीन प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा। विपत्र के साथ तिथिवार सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ आपूर्ति का वजन, क्रेट निर्गत/आगत की संख्या का विवरण एवं सम्बन्धित कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र(जिससे यह स्पष्ट हो कि दुग्धजन्य पदार्थ/क्रेट आदि के मद् मे परिवहन कर्त्ता के नाम पर काई बकाया नही है) भी निश्चित रूप से संलग्न करना होगा, ताकि विपत्र प्रस्तुति के पश्चात् चेक द्वारा भुगतान की जायेगी।

(7) परिवहन गाड़ी से सम्बन्धित समस्त कागजातों को अद्यतन रखने गाड़ी की मरम्मति/पुल किराया/टॉल टैक्स आदि का भुगतान डेयरी द्वारा नही किया जायेगा। अर्थात् इसकी पूर्ण जबाबदेही परिवहन कर्त्ता की होगी।

Contt...

Mithila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd.
SAMASTIPUR DAIRY,
Industrial Area, Po: Harpur Alowth,
Dist. Samastipur-848101 Bihar

(8) गाड़ी का उपयोग सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ के साथ–साथ अन्य डेयरी सामग्री के परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। जिसके लिए निर्धारित दर पर भुगतान किया जायेगा, परन्तु गाड़ी के वापसी मे भेजे जाने वाले सामग्री के लिए अलग से किसी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा।

(9) परिवहन कर्त्ता को गाड़ी संचालन हेतु अपनी व्यवस्था से व्यवहार कुशल एक चालक एवं दो लोडर रखना होगा, तथा सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मचारी के द्वारा समय–समय पर दिय जाने वाले निर्देशों का पालन करना होगा। गाड़ी चालक/स्टाफ को परिवहन कर्त्ता द्वारा एक मोबाईल फोन उपलब्ध कराना होगा, ताकि दुग्धजन्य पदार्थ परिवहन के क्रम मे दोनो पक्ष द्वारा एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित हो सकें।

(10) परिवहन कर्त्ता को डेयरी द्वारा तीन प्रति मे विपणन पथवार सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ आपूर्ति चलान उपलब्ध कराया जायेगा। विपणन पथवार गेट पास/चलान के अनुसार डेयरी से सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ प्राप्त करते हुए सम्बन्धित स्थल पर आपूर्ति करना होगा। सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ आपूर्ति के पश्चात् गेट पास/चलान की प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रति डेयरी मे जमा करना होगा। परिवहन तथा वितरण के क्रम मे यदि कोई सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ शॉर्टेज/डैमेज होता है तो उसके मूल्यों की कटौती अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर आपके परिवहन विपत्र से कर ली जायेगी।

(11) परिवहन कर्त्ता को दूध एवं लस्सी की संख्या के अनुरूप डेयरी द्वारा क्रेट उपलब्ध कराया जायेगा। डेयरी द्वारा जितनी संख्या मे क्रेटों की आपूर्ति की जायेगी, उतनी ही संख्या मे प्रतिदिन डेयरी मे क्रेट वापस करना होगा। कम संख्या मे क्रेट वापस करने की स्थिति मे क्रेट का कीमत आपके परिवहन विपत्र से कर ली जायेगी।

(12) सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ परिवहन के क्रम मे डेयरी के कोई भी प्राधिकृत सेवक परिवहन व्यवस्था का निरीक्षण कर सकते हैं, जिसमे परिवहन कर्त्ता का सहयोग अपेक्षित है। डेयरी सामग्री के साथ अन्य सामग्री(दूसरे पार्टी का) परिवहन करने की स्थिति मे आपकी नियुक्ति रद्द कर दिया जायेगा।

(13) परिवहन कर्त्ता को एक वर्ष मे दो बार(छः महीने के अन्तराल पर) अपने व्यवस्था से गाड़ी की पेन्टिंग करानी होगी। सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ परिवहन/वितरण के क्रम मे यदि किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जबाबदेही/भारपाई परिवहन कर्त्ता की होगी।

(14) सुधा दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थ के परिवहन एवं वितरण के समय सारणी का पालन करना अनिवार्य होगा, तथा कार्यादेश मे वर्णित शर्त्तो के अलावे समय–समय पर डेयरी द्वारा निर्गत आदेश/निदेश भी परिवहन कर्त्ता को मान्य होगा।

(15) सड़क/मार्ग अवरूद्ध रहने के कारण(प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) दूसरे मार्ग से आने जाने पर अतिरिक्त दूरी के लिए तथा गाड़ी खराब हो जाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डेयरी द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा। डेयरी को यदि गाड़ी की वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी तो वास्तविक खर्च की कटौती आपके परिवहन विपत्र से कर ली जायेगी।

Contt...

Mithila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd.
SAMASTIPUR DAIRY,
Industrial Area, Po: Harpur Alowth,
Dist. Samastipur-848101 Bihar

(16) परिवहन कर्त्ता/कर्मी के द्वारा अबैध रूप से कोई सामग्री डेयरी से प्राप्त की जाती है, तथा डेयरी के सम्पति को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो वैसी स्थिति मे डेयरी द्वारा परिवहन कर्त्ता को जुर्माना किया जायेगा। डेयरी द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि निर्धारित तिथि तक परिवहन कर्त्ता को जमा करना होगा।

(17) परिवहन कर्त्ता द्वारा अचानक बिना कोई सूचना के परिवहन सम्बन्धी कार्य छोड़ा जाता है तो वैसी स्थिति मे जमानत राशि डेयरी द्वारा जप्त कर ली जायेगी।

(18) परिवहन कर्त्ता द्वारा ऐसा कोई कार्य जो डेयरी के हित मे नही हो, वैसी स्थिति मे बिना कोई सूचना के परिवहन कर्त्ता के रूप मे नियुक्ति निरस्त कर दिया जायेगा।

(19) परिवहन कर्त्ता किसी भी प्रकार का वैधानिक देयता के लिए डेयरी जिम्मेवार नही होगा।

(20) यह एक व्यवसायिक एकरारनामा है अतः इस पर किसी प्रकार का रोजगार/नियुक्ति हेतु परिवहन कर्त्ता/परिवहन कर्त्ता के कर्मियों द्वारा दावा नही किया जायेगा। परिवहन कर्त्ता या परिवहन कर्त्ता के किसी कर्मचारी को डेयरी के कर्मचारियों के समरूप या समकक्ष किसी भी प्रकार का अधिकार, विशेष सुविधा, लाभ इत्यादि देय नहीं होगा।

(21) बैंक गारंटी की अवधि परिवहन कर्त्ता की कार्य अवधि से एक महीने आगे तक के लिए जमा करना होगा। यह शर्त्त विस्तारित अवधि के लिए भी मान्य होगा।

(22) किसी भी विवाद की स्थिति मे प्रबन्ध निदेशक, मिथिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, समस्तीपुर का निर्णय आपको मान्य होगा तथा न्यायालय का कार्यक्षेत्र समस्तीपुर होगा।

दोनों पक्षों द्वारा पढ़कर, पूर्ण व्याख्या के साथ अपनी भाषा में समझकर एकरारनामा की शर्त्तों को बताकर साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

....	....
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
साक्षी (पूर्ण पता सहित)	साक्षी (पूर्ण पता सहित)
1......................................	1......................................
2......................................	2......................................

Mithila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd.
SAMASTIPUR DAIRY,
Industrial Area, Po: Harpur Alowth,
Dist. Samastipur-848101 Bihar

Before ,

The Notary Public,

....

AFFIDAVIT

Affidavit of Sri .... S/o Sri ....
aged....... Years resident of ....

1. The aforesaid , do hereby solemnly affirm and declares as under :-

That I have entered into an agreement dated .... With the **Mithila Dugdh Utpadak Sahkari Sangh Ltd. Samastipur Dairy, Samastipur** Situated in industrial Area, Harpur Alowth, Samastipur for Milk Product Tranaportation from Samastipur Dairy to various Distributor point at Samastipur District the contents of the said agreement to be read as part of this affidavit also.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ....this ....day of .... that contents of the above affidavit are true to the best of my knowledge and nothing has been concealed there from.

DEPONENT